


२५-३/११) वकील डाणी तथा उखायी सं. १ के प्रतिनिधि
उपन पूर्वोक्तान् वाले साक्ष्यकारी हुकम
२०/५/११) कोमेवही पी. ५

२०/५/११) वकील डाणी तथा उखायी सं. १ के प्रतिनिधि
उपन पूर्वोक्तान् वाले साक्ष्यकारी हुकम
२०/५/११) कोमेवही पी. ५

१७ 5/15 फावली उपन लोक उखायत उरखित २०/५/११
कोमेवही पेश हुई पदाकारण उपलक्षित २०/५/११
डाणी सं. २ गमाडेवी का मूल्य प्रमाण पत्र
अनपेक्षात तत्पुत्रात्पुत्र पेश किन्तु मातिले
पत्रावली ही) डाणी सं. २ गमाडेवी का मूल्य
पत्रावली ले हजफ किन्तु जरा है शिल्ले वसिल
डाणी सं. १ पूर्वोक्ते गार्सना फरके पक्षकार
सिमेवही है पक्षकारों के पुत्र मना तथा फावली
का २०/५/११ लोक किन्तु गमाडी प्रमाण पत्रावली का
किन्तु जरा है। निर्णय पक्ष से सिवाया जरा
मातिल किन्तु गमाडी फावली फौजल मुकाम
देकर गमाडेवी के ही) पी. ५

श्रीकल
मि. परस

राम पूजा



भा.मा.स.म उपखण्ड अधिकारी एवं पेडन लक्ष्मिक कुल्कर्णी लपोररा
(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केंद्रपकेट)

पीठासीन अधिकारी - श्री राजपाल भांडव RAS अजिंठा कलकत्ता लपोररा

क्र. नं.	हिस्सा नुमा	तारीख	वा. वि. म.
02/13	आ. 136 लक्ष्मिक	21.1.13	17/5/2017

1. संका पूजा गंगाधर
2. रामादेवी के गंगाधर
3. रामपूज पुत्र लाला
4. परसू पुत्र अमलाल

जायगीत श्रीग विवाही श्रीमंतपुरी
(पुपन) तहसील लपोररा (करोली)

अनाम

- जायगीत

1. लैड रोड्स जर्मि तहसीलदार तहसील लपोररा जिलापरीषी
2. शाखा प्रबन्धक जे.ए. नेशनल बैंक शाखा अजिंठा तहसील लपोररा जिला करोली

- अजायगीत

जायना पुत्र अंतर्गत आ. 136 एम.आ. (स. 2)

केंद्रपकेट/पत्रावली अजिंठा राजस्व लोक अदालत अजिंठा, मे. 07 स्थान
आ. 136 एम.आ. (स. 2) पक्षद्वारा आदि/संक्षेपमें जायगीत
तथ्य पुकारे कि विवाहित आयसीमात जायगीत की सदखोदारी
की है जो जायगीत की पुत्री है जायगीत ने ऊर्ज परिवारिक सजाके
इलाकिक चन्दाके एक पुत्र अमलाल, अमलाल के लीन पुत्र लाला,
गंगाधर एवं परसू लीन पुत्र थे। लाला के रामपूज, लाला की रीत रोग
है। गंगाधर की रीत रोग है, जिलापरीषत पुत्र वंश है। गंगाधर की
पत्नि रामादेवी भी रीत रोग है। अतः विवाहित आयसीमात में
जायगीत के हिस्सा राजस्व कार्रवाई के कारण वास्तव में
पि. 4

दो ग्रामों/ग्रामीणों। व 2 का हिस्सा 113 के लिये 14, ग्रामीणों 3 समझूत का हिस्सा 113 के लिये 12 तथा ग्रामीणों 4 का हिस्सा 113 का 14 दर्ज हो शकते हैं इस लिए ग्रामीणों के हिस्से राजस्व रिफाई में लगे दर्ज हो जायेंगे।

ग्रामीणों पर ग्रामीणों के हिस्से का राजस्व अग्रणी/मीटिंग/ग्रामीणों 2 का हिस्सा 113 का हिस्सा 12 तथा ग्रामीणों 4 का हिस्सा 113 का 14 दर्ज हो शकते हैं इस लिए ग्रामीणों के हिस्से राजस्व रिफाई में लगे दर्ज हो जायेंगे। इनके खिलाफ एव पक्षीय कार्यवाही के अन्तर्गत ग्रामीणों 1 ने अपना उत्तर पत्र पेश कर कहा है कि ग्रामीणों 3 का हिस्सा 113 का हिस्सा 14 दर्ज हो शकते हैं। ग्रामीणों के भूखण्डों के विवरण का नक्शा तैयार है जो न्याय संगत नहीं है, ग्रामीणों की अग्रणीयत की विषय के नामानुसार के साथ ही उनके नाम की गई होगी। इसके लिए राजस्व की नामानुसार का उत्तर माननीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पक्षपात ग्रामीणों के, परन्तु एवं बुजुर्गों के स्वतंत्रता के प्रायश्चित्त के लिए जो शामिल पत्रावली के ग्रामीणों 2 ग्रामीणों की फार हो चुकी है जिसका बंधुधर का एवं साधु का अग्रणीयत का प्रमाण पत्र पेश किया गया है इस लिए ग्रामीणों 2 ग्रामीणों का भाग 113 के अन्तर्गत दर्ज हो शकते हैं जिसका बाहिस 113 का हिस्सा 14 दर्ज हो शकते हैं। ग्रामीणों के हिस्से 113 पर (संशोधित है) उत्तर के लक्षणों में ग्रामीणों ने जमाबंदी संवत् 2064-67, संवत् 2023-26, नामानुसार पंजीकृत नाम होकर पेश किया है।

पक्षपात एवं बुजुर्गों का पत्रावली का अग्रणीयत के लिए ग्रामीणों 2 का हिस्सा 113 का हिस्सा 14 दर्ज हो शकते हैं। ग्रामीणों 1 व 2 का हिस्सा 113, ग्रामीणों 2 का हिस्सा 113 एवं ग्रामीणों 4 का हिस्सा 113 राजस्व रिफाई में दर्ज हो शकते हैं। किन्तु राजस्व रिफाई में लगे दर्ज हो शकते हैं। 114/12 एवं 114/15 के अन्तर्गत दिए गए अग्रणीयत अन्तर्गत दर्ज हो शकते हैं इस लिए ग्रामीणों का हिस्सा 113 का हिस्सा 14 दर्ज हो शकते हैं।

जारी हो रहा है। 114

दिनांक -

राजस्व लोक अदालत - 2017

आग. प्रबन्धनालय प्रबन्धित स्वीकार किया गया ग्राम कोल्हट्टा तहसील
 सपोटरा के आसानी खाने 528, 533, 794, 810, 813, 814, 885,
 887, 888, 889, 912, 913, 1183, 1184 कुलकित 14 खवा
 10 बीघा 02 हिस्सा में प्रवेशित, 1 का हिस्सा 1/3, प्रवेशित, 3 का
 हिस्सा 1/3 तथा प्रवेशित, 4 का हिस्सा 1/3 दुरलत किसे जानके
 मोदेश राजस्व रिफाउमे तहसील वा सपोटरा को दिए जाते है।
 विविध लो केस के निम्नान्त शक्ति प्रशासकी केसल प्रमुख लोका
 नम्बरे कहे।

[Signature]
 पीठासीन अधिकारी (SDM)
 राजस्व लोक अदालत "न्याय आपके द्वार"
 सपोटरा, जिला-करौली (राज०)